भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या. 318*

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान वय वंदना कार्ड

†*318. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेलः
श्री महेश कश्यपः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की भविष्य में अतिरिक्त स्वास्थ्य सेवा लाभ या सेवाओं को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के दायरे का विस्तार करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि आयुष्मान वय वंदना कार्ड का लाभ गुजरात के वलसाड, डांग और नवसारी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों की आबादी के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंच सके?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ग): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 21.03.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 318 के उत्तर में संदर्भित विवरण

आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक अग्रणी योजना है जो 12.37 करोड़ परिवारों के लगभग 55 करोड़ लाभार्थियों को मध्यम स्तरीय और विशिष्ट परिचर्या के लिए अस्पताल में भर्ती करने के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है, जो भारत की आबादी का आर्थिक रूप से कमजोर निम्नतम तबके का 40% है। हाल ही में, आयुष्मान वय वंदना कार्ड के माध्यम से 4.5 करोड़ परिवारों से संबंधित 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों, चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कुछ भी हो, को शामिल करने के लिए इस योजना का विस्तार किया गया है।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत, इस योजना के शुभारंभ के बाद से, स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को पांच बार संशोधित किया गया है। प्रारंभ में, इस योजना में 1,359 पैकेज शामिल थे, लेकिन अब स्वास्थ्य लाभ पैकेज (एचबीपी) 2022 में 27 मेडिकल स्पेशलिटी में 1,961 पैकेज शामिल हैं। कुल 365 नई उपचार प्रक्रियाएं जोड़ी गई हैं और 832 पैकेजों की दरों में बढ़ोतरी की गई है। पहले से ही शामिल किए गए किडनी प्रत्यारोपण के अलावा अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण और कर्ण प्रत्यारोपण सर्जरी जैसी अत्याधुनिक प्रक्रियाएं शुरू की गई हैं।

इसके अलावा, राज्यों को स्थानीय संदर्भ में स्वास्थ्य लाभ पैकेजों को और अधिक अनुकूलित करने के लिए स्वायत्ता दी गई है।

विशेष रूप से ग्रामीण और अल्पसेवित क्षेत्रों में एबी-पीएमजेएवाई के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक व्यापक मीडिया और आउटरीच कार्यनीति है। इसमें समाचार पत्रों, सामुदायिक रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, डिजिटल डिस्पले, रेडियो अभियानों, जन संदेश और दूरदर्शन आदि के माध्यम से लाभार्थी विवरण के प्रसारण सहित पारंपरिक मीडिया प्लेटफार्मों पर विज्ञापन शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों ने अग्रणी कार्यकर्ताओं अर्थात् आशाकर्मी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और वीएलई (ग्राम स्तरीय उद्यमियों) के व्यापक नेटवर्क को भी शामिल किया है जो निचले स्तर पर जन जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा, किसी भी सहायता/प्रश्नों के लिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड लाभार्थी हेल्पलाइन नंबर 1800-110-770 पर मिस्ड कॉल या 24x7 कॉल सेंटर (14555) पर कॉल कर सकते हैं।

इसके अलावा, सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एबी-पीएमजेएवाई के विस्तार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यापक आईईसी कार्यकलापों को शुरू करने के लिए राज्यों को निर्देश जारी किए हैं।

दिनांक 17.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार, इस योजना के तहत 53 लाख से अधिक आयुष्मान वय वंदना लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिसमें वलसाड जिले में 19,665, डांग जिले में 612 और गुजरात के नवसारी जिले में 7,146 लाभार्थी शामिल हैं।

****